

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त-मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 37/2022- सीमाशुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 2022

सा. का. नि. (अ).- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की उन प्रत्येक अधिसूचनाओं में, जो कि नीचे सारणी के कॉलम (2) में दी गयी हैं, आगे भी संशोधन करती है तथा ये संशोधन उक्त सारणी के कॉलम (3) में दी गयी तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट तरीके से किए जायेंगे, यथा:-

सारणी

क्रम संख्या	अधिसूचना सं. और दिनांक	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	16/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 [सा.का.नि.सं. 252(अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के द्वारा]	उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में, खंड (iii) के परंतुक को हटाया जा रहा है।
2.	18/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 [सा.का.नि. सं. 254 (अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के द्वारा]	उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में, खंड (xiii) को हटाया जा रहा है।
3.	20/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 [सा.का.नि. सं.256 (अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के द्वारा]	उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में, खंड (xiv) को हटाया जा रहा है।
4.	22/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 [सा.का.नि. सं.258 (अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के द्वारा]	उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में, खंड (xiii) को हटाया जा रहा है।
5.	45/2016-सीमा शुल्क, दिनांक 13 अगस्त, 2016 [सा.का.नि. सं. 795 (अ), दिनांक 13 अगस्त, 2016 के द्वारा]	उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में खंड (xii) को हटाया जा रहा है।
6.	52/2003 – सीमा शुल्क, दिनांक 31 मार्च 2003 [सा.का.नि. सं 274(अ), दिनांक 31 मार्च, 2003 के द्वारा]	उक्त अधिसूचना में प्रारम्भिक पैराग्राफ में, परंतुक में "उपर्युक्त खंड (ख) में वर्णित 1 जुलाई 2022 को या उसके बाद कुछ भी लागू नहीं होगा, निम्नलिखित शर्तों के तहत" कोष्ठक, आंकड़ों एवं अक्षरों के लिए "इस अधिसूचना के अंतर्गत छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी" को प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

[फा.सं. डी जी इ पी/ इ ओ यू/5/2022- टेक]

(गोपाल कृष्ण झा)
निदेशक (ड्राबैक)

